न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी

B.P. No.-484/2026

चांदमति देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

[मुफस्सिल थाना कांड सं0 400/2024]

आदेश

15.05.2026 आवेदिकागण/अभियुक्तागण **1. चांदमति देवी एवं 2. आरती देवी** जो इस मामले में दिनांक **26.03.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 484/2026, मुफस्सिल थाना कांड सं0 400/2024, अंतर्गत धारा–103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री बलवंत कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 04.07.2024 को समय 16 बजे दिन में सूचिका के पति अपने ट्रैक्टर पर टेन्ट का सामान लेकर घर आए तथा उतारने लगे तो सूचिका के भसुर अवधेश साह मना किए तो गाड़ी पर का सामान उतारकर फेंकने लगे तब सूचिका मना की तथा अपना सामान उतारकर रखने लगे तो सूचिका के ससुर शिवनाथ साह तथा सूचिका की सास सुशीला देवी आकर बोले की टेन्ट का सामान अपने हिस्सा में रख रहा तो तुम मना करने वाला कौन होता है। इसी बात पर अवधेश साह, चांदमति देवी, आलोक कुमार, आरती देवी, खुशी कुमारी, सोनी कुमारी, सोनाली कुमारी सभी अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा, चाकू से हमला कर दिए। आलोक कुमार एवं अवधेश साह के हाथ में भी चाकू था। अवधेश साह तथा आलोक कुमार ने मिलकर सूचिका के पति सूरज कुमार गुप्ता, सूचिका की सास सुशीला देवी तथा ससुर शिवनाथ साह को चाकू से गोद–गोद कर बुरी तरह से जख्मी कर दिए। जिससे सूचिका के पति सूरज कुमार गुप्ता एवं सूचिका की सास सुशीला देवी का दिनांक 04.07.2024 को घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा सूचिका के ससुर शिवनाथ साह की मृत्यु दिनांक 05.07.2024 को ईलाज के क्रम में हो गई। विवाद टेन्ट का सामान रखने को लेकर हुआ था।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदिकागण बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिकागण की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2108/2024 एवं क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 82030/2024 दाखिल किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था। आवेदिकागण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है और आवेदिकागण दिनांक 26.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिकागण को भूमि विवाद के चलते झूठे तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदिकागण के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, मनगढंत और आधारहीन है। आवेदिकागण के विरूद्ध स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदिकागण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदिकागण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>B.P. No.-484/2026</u>
चांदमति देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[मुफस्सिल थाना कांड सं0 400/2024]

<u>15.05.2026</u>
लगातार

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मुफस्सिल थाना कांड सं0 400/2024, अंतर्गत धारा–103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत कराई गई है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति, ससुर एवं सास की हत्या करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 09 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 12, 13 एवं 14 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने भी घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ सभी मृतक का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट संलग्न है जिसमें चिकित्सक ने मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव का होना बताया है। प्रस्तुत मामले में आवेदिकागण के खिलाफ अभी अनुसंधान जारी है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदिकागण द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिकागण/अभियुक्तागण को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदिकागण/अभियुक्तागण **1. चांदमति देवी एवं 2. आरती देवी** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 24.04.2026 उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 15.05.2026

Date of Order/Judgment	15.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	15.05.2026
Uploading Date	19.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT